

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 45/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिए पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड		1. सरपंच ग्राम पंचायत आमथला। 2. श्री रणजीतसिंह पुत्र श्री भूरसिंह जाति राव निवासी कारोली तहसील आबूरोड जिला सिरौही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:-

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 25.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 35 दिनांक 26.05.1977 वर्गफीट 1350 को निरस्त कराने हेतु इस विनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। जिस पर अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा जारी किया है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को जारी विक्रय विलेख में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1961 के नियम 256 से 261 की पालना नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने बदनियतीवश, स्वार्थपूर्ण कार्य किया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक ने नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ दिए जाने की नियत से पंचायत नियमों की पूर्ण अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत आमथला की भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का पुराना कब्जा बताते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 1961 के नियम 166 के तहत रूपए 150/- में विक्रय विलेख जारी कर पंचायत को पट्टा पट्टाई गई है, जबकि वह भूमि ग्राम पंचायत आमथला की है तथा इस भूमि को आम नीलामी से विक्रय की जाती तो ग्राम पंचायत को काफी अच्छी आय प्राप्त होती। यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निर्णित अपील संख्या 3345/06 व एसएसपी नम्बर 9938/04 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2006 को इसी पंचायत क्षेत्र से लगते ग्राम पंचायत

जिला कलक्टर, सिरौही

आकराभट्टा के दानवाव ग्राम में जारी विक्रय विलेखों को वर्ष 1996-97 में निरस्त किए जाने के पश्चात आवंटियों को उक्त विक्रय विलेख की भूमि से वेदखल कर खुली नीलामी से नीलाम करने के आदेश दिए गए हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 35 दिनांक 26.05.1977 क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट को निरस्त करना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस में ध्यान इस निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 266 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-दो द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है। यह है कि नियमों की पालना करने का दायित्व अप्रार्थी संख्या एक का था एवं अप्रार्थी संख्या दो की जानकारी में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नियमों की पालना विधिवत की गई है, उसमें कोई अनियमितता नहीं है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के हक में कब्जेशुदा पुराने पुश्तैनी कब्जे भूमि का विक्रय किया गया है, नियमों की पालना अप्रार्थी संख्या एक द्वारा किया जाना था, जिसमें अप्रार्थी संख्या दो से कोई कृत्य अपेक्षित नहीं था। अतः नियमों की अनुपालना करने वाले अधिकारी द्वारा किए गए कार्य व लोप का प्रभाव अप्रार्थी संख्या दो के हक में हुए अन्तरण की वैधता पर नहीं पडता है। यह है कि विवादित पट्टे वाली भूमि पर 40 वर्ष से भी अधिक समय से मकान बना हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या दो अपने पिता से पृथक उक्त मकान में निवासरत है, जिस पर नियमानुसार निर्माण अनुमति प्रदान की गई थी। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो ने लाखों रूपए खर्च कर भूमि सुधार में व निर्माण में व्यय किया है, यदि अप्रार्थी के विक्रय विलेख को वैध होते हुए भी निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी। यह है कि प्रार्थी निगरानी के माध्यम से अपील निर्णित करवाना चाहता है, जबकि निगरानी व अपील की सुनवाई व आपत्ति हेतु पृथक व सीमित अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह है कि प्रार्थी ने निगरानी में जो आधार लिए हैं वे अपील में ही उठाए जा सकते हैं। विधि में अपील की व्याप्ति व निगरानी की व्याप्ति में भारी भिन्नता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पिता ने अपनी पुश्तैनी भूमि का दिनांक 25.08.1979 को अपने चारों पुत्रों के मध्य लिखित में बंटवारा किया था, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या दो की पुश्तैनी भूमि है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है। अतः इसे खारिज किया जाना फरमावे। इस सम्बन्ध में इनके द्वारा विधिक दृष्टांत 1990 RRD 347, 1982 RLW 371 para(c), 1983 RLW 268 para(c), Sec. 115 C.P.C. 1984 RRD 692 para 10, 1997 DNJ {Raj.} 751, 1997(3) RLW 1567 para 45,46, 1997 SAR 783 {Sc}, 1999(3) RLW 1390 para 5, 1994 RRD 568, 2001(1)RLW 89, 1991 RRD 148, 1999 WLC {UC} 264 प्रस्तुत किए।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभौति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा रूपये 150/- शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा।

मेला कलेक्टर, सिरौही

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आमथला द्वारा पत्र क्रमांक 631 दिनांक 05.05.2015 के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उक्त विवादित पट्टा संख्या 35 दिनांक 26.05.1977 से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के सामान्य नियम 1961 के नियम 256 से 261 की पालना नहीं की गई है एवं मिसल संधारित किए बिना ही पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। यह है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षों से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा, परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अप्रार्थी संख्या दो का 20 वर्ष या अधिक का कब्जा होना साबित करता हो। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूमि अप्रार्थी संख्या दो की पुश्तैनी भूमि है जिसका अप्रार्थी संख्या दो के पिता ने दिनांक 25.08.1979 को अपने चारों पुत्रों के मध्य बंटवाड किया था, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि उक्त बंटवाडनामा दिनांक 25.08.1979 को लिखा गया है, जबकि उक्त विवादित पट्टा दिनांक 26.05.1977 को ही ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के नाम से जारी कर दिया। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण स्वीकृति एवं जलदाय विभाग द्वारा जारी बिल का नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने पर यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं जलदाय विभाग द्वारा जारी बिल उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड के हैं या अन्य किसी भूखण्ड के। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त बंटवाडनामा को किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। उक्त पट्टे की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो उक्त विवादित पट्टे के भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या दो का पट्टा जारी करने की दिनांक 26.05.1977 से पूर्व का किसी भी प्रकार का कब्जा व पुश्तैनी भूमि होने की पुष्टि करता हो। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत 1990 RRD 347, 1982 RLW 371 para(c), 1983 RLW 268 para(c), Sec. 115 C.P.C. 1984 RRD 692 para 10, 1997 DNJ {Raj.} 751, 1997(3) RLW 1567 para 45,46, 1997 SAR 783 {Sc}, 1999(3) RLW 1390 para 5, 1994 RRD 568, 2001(1)RLW 89, 1991 RRD 148, 1999 WLC {UC} 264 का अवलोकन करने पर यह न्यायालय उक्त विवादित पट्टा संख्या 35 दिनांक 26.05.1977 को न्याय संगत नहीं मानता है। अतः ऐसी रिथिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 26.05.1977 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलासा सुनाया गया।



(डॉ. भूवर लाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही